



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 384]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 5, 2017/आश्विन 13, 1939

No. 384]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 5, 2017/ASVINA 13, 1939

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अक्तूबर, 2017

सं. बीईई /एस एण्ड एल/टीएफएल /63/2017-18 .—कुछ विनियमों का निम्नलिखित मसौदा, जिन्हें ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 58 की उपधारा (2) के खण्ड (i) के साथ पठित धारा 14 के खण्ड (घ) और धारा 13 की उपधारा (2) के खण्ड (द) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की अधिसूचना सं. 2/11(5)/03-बीईई-1 दिनांक 12 फरवरी, 2009 के अधिक्रमण में संशोधन करने का प्रस्ताव करता है, एतद्वारा इससे संभावित प्रभावित सभी व्यक्तियों की सूचना के लिए उक्त अधिनियम की धारा 58 की उपधारा (1) द्वारा यथा: अपेक्षित प्रकाशित किया जाता है; और एतद्वारा सूचना दी जाती है कि जनता के लिए उपलब्ध कराने के लिए विनियमों के कथित मसौदे पर सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि समाप्त होने पर या उसके बाद विचार किया जाएगा;

आपत्ति या सुझाव, यदि कोई हो, महानिदेशक, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, विद्युत मंत्रालय, चौथा तल, सेवा भवन, रामकृष्ण पुरम, सैक्टर-1-, नई दिल्ली-110 066 को संबोधित किए जाएं।

ब्यूरो द्वारा विनियमों के उल्लिखित मसौदे के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त किसी आपत्ति या सुझाव पर उल्लिखित अवधि समाप्त होने से पूर्व विचार किया जाएगा।

विनियमों का मसौदा

1. लघु शीर्षक और आरंभ : -(1) इन विनियमों को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (ट्यूबुलर फ्लोरसेंट लैम्पों पर उनके प्रदर्शन का विवरण और प्रविधि), विनियमन, 2009 कहा जाए।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. परिभाषा :- (1) इन विनियमों में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,-

- (क) "अधिनियम" से तात्पर्य ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) है;
- (ख) "प्रपत्र" से तात्पर्य इन विनियमों के साथ संलग्न प्रपत्र है;
- (ग) "लेबल" से तात्पर्य ट्यूबुलर फ्लोरसेंट लैम्प पर चिपकाया गया अथवा प्रदर्शित लिखित, मुद्रित, चिह्नित, मुहर लगी या ग्राफिक सामग्री है;
- (घ) "लेबल अवधि" से तात्पर्य धारा 14 के खण्ड (क) के तहत केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित ऊर्जा खपत मानक के तहत ल्यूमिनस दक्षता की वैधता अवधि से है और यदि ल्यूमिनस दक्षता की वैधता की अवधि की अंतिम अवधि अधिसूचित नहीं की गई है, यह अवधि इसके लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित नए मूल्यों तक वैध मानी जाएगी;
- (ङ) "मॉडल अथवा मॉडलों का परिवार" से तात्पर्य किसी विशेष ब्राण्ड का मॉडल या मॉडलों की रेंज है जिसके संबंध में जांच रिपोर्टों का एकल सैट प्रयोजनीय है और जहां प्रत्येक मॉडल के समान भौतिक लक्षण, ल्यूमिनस दक्षता, स्टार रेटिंग लेबल और निष्पादन लक्षण समान हैं;
- (च) "अनुज्ञाधारक" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति या ऐसी एजेंसी से है जिसे विनियम 7 के तहत लेबल चिपकाने के लिए अनुज्ञा दी गई है;
- (छ) "स्टार रेटिंग अथवा स्टार स्तर" से तात्पर्य ट्यूबुलर फ्लोरसेंट लैम्प के ऊर्जा निष्पादन को दर्शाने के लिए अधिनियम की धारा 14 के खण्ड (क) के तहत अधिसूचित ट्यूबुलर फ्लोरसेंट लैम्प के लेबल पर प्रदर्शित ऊर्जा दक्षता का ग्रेड है;
- (ज) लेबल लगे ट्यूबुलर फ्लोरसेंट लैम्प के संबंध में "व्यापारी अथवा विक्रेता" से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो ऐसे ट्यूबुलर फ्लोरसेंट लैम्प की बिक्री अथवा वितरण करता है और इसमें ऐसे दुकानदार, व्यापारी, विनिर्माता और ट्यूबुलर फ्लोरसेंट लैम्प पर लेबल चिपकाने के लिए अनुमति प्राप्त अनुज्ञाधारक शामिल हैं;
- (झ) "ट्यूबुलर फ्लोरसेंट लैम्प" से तात्पर्य अधिनियम की धारा 14 के खण्ड (क) के तहत अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट उपकरण है;

(2) यहां इसमें प्रयुक्त जो शब्द और अभिव्यक्तियां अपरिभाषित हैं लेकिन अधिनियम, या अधिनियम की धारा 14 के खण्ड (क) के तहत जारी अधिसूचना या मानक में परिभाषित हैं, उनका अधिनियम में उन्हें क्रमशः दिया गया आशय ही होगा।

3. लेबल पर प्रदर्शित किए जाने वाला विवरण (1) प्रत्येक ट्यूबुलर फ्लोरसेंट लैम्प पर, इसके लेबल पर निम्नलिखित विवरण प्रदर्शित किया जाएगा, अर्थात् -:

- (क) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का प्रतीक चिह्न;
- (ख) विनिर्माता या आयातक और ब्रांड का नाम;
- (ग) ट्यूबुलर फ्लोरसेंट लैम्प और रंग तापमान का आकार;
- (घ) व्यापार का नाम और संख्या;
- (ङ) मॉडल और विनिर्माण या आयात का वर्ष;
- (च) अद्वितीय श्रृंखला कोड;
- (छ) वॉट में बिजली की खपत;
- (ज) ट्यूबुलर फ्लोरसेंट लैम्प का स्टार स्तर;

- (झ) एल एम / डब्ल्यू में ल्यूमिनस प्रभाव;
- (ञ) लेबल की अवधि;

(2) लेबल का डिजाइन, रंग, आकार और सामग्री इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची में यथा: विनिर्दिष्ट होगा।

4. **लेबलों के प्रदर्शन के लिए समय सीमा :-** (1) विनियम 3 में विनिर्दिष्ट सभी विवरण वाला लेबल विनियमन के लागू होने की तारीख से छह माह की अवधि के भीतर प्रत्येक ट्यूबुलर फ्लोरसेंट लैंप पर प्रदर्शित किया जाएगा।

(2) अधिनियम की धारा 14 के खण्ड (क) के तहत केन्द्रीय सरकार द्वारा संशोधित ऊर्जा की खपत के मानकों को अधिसूचित करने के आरंभ होने पर और आरंभ होने से, प्रत्येक अनुज्ञाधारक या विक्रेता सुनिश्चित करेगा कि -

- (क) बिक्री के लिए रखे गए ट्यूबुलर फ्लोरसेंट लैम्पों पर संशोधित ऊर्जा खपत मानकों के साथ समक्रमण अवधि के लिए संशोधित स्टार स्तर और संशोधित लेबल पर प्रदर्शित किए जाएंगे तथा ट्यूबुलर फ्लोरसेंट लैम्प का विनिर्माण वर्ष भी उक्त संशोधित ऊर्जा खपत मानकों के साथ समक्रमण में होगा और पिछले ऊर्जा खपत मानकों के साथ ट्यूबुलर फ्लोरसेंट लैम्पों का उत्पादन नहीं किया जाएगा।
- (ख) डीलरों, खुदरा व्यापारियों को जानकारी देने के लिए उनकी जागरूकता के साथ ही उपभोक्ताओं को शिक्षित करने के लिए अपेक्षित प्रचार-प्रसार सहित सभी प्रारंभिक उपाय इस विनियमों के तहत ऐसे प्रारंभ की तारीख से छह माह पूर्व नियोजित और निष्पादित किए जाएंगे।

5. **लेबल प्रदर्शित करने की विधि-**(1) प्रत्येक ट्यूबुलर फ्लोरसेंट लैंप पर बिक्री के बिंदु पर यह लेबल प्रदर्शित किया जाएगा और उक्त लेबल को निम्नलिखित प्रकार से ट्यूबुलर फ्लोरसेंट लैम्प पर लगाया जाएगा, अर्थात :-

- (क) लेबल को कलर प्रोग्राम के साथ फोटोग्राफिक रूप से 16 मि. मी. ऊंचाई तक कम करने के बाद स्लीव पर प्रिंट किया जाएगा;
- (ख) सभी विनिर्माता और आयातक स्लीव पर रंग का तापमान अंकित करेंगे;
- (ग) ट्यूबुलर फ्लोरसेंट लैंप पर स्टार मार्किंग रेटिंग के अनुसार मुहर के तौर पर लगाई जाएगी, स्टार मार्किंग के लिए मुहर का साइज़ 14.5 मि. मी. ऊंचा, 8.5 मि. मी. चौड़ा होगा और इसे अलग कॉलम में लगाया जाएगा।

6. **लेबल प्रदर्शित करने की अनुज्ञा-**(1) ब्यूरो की पूर्व अनुमति के बगैर ट्यूबुलर फ्लोरसेंट लैंप पर कोई स्टार नहीं चिपकाया जाएगा।

(2) उप- विनियम (1) के तहत ब्यूरो की अनुज्ञा लेने के प्रयोजन के लिए, अनुज्ञा धारक प्रत्येक ब्रांड के लिए अपना पंजीकरण कराएगा, जिसके साथ ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली के पक्ष में आहरित डिमांड ड्राफ्ट द्वारा देय या भुगतान की अन्य स्वीकृत विधि द्वारा एक लाख रुपए का प्रतिभूति शुल्क होगा;

बशर्ते कि लघु स्तर के उद्योग के मामले में लेबल प्रतिभूति शुल्क केवल पच्चीस हजार रुपए होगा;

(3) उप- विनियम (2) के तहत प्रत्येक अनुज्ञा के साथ निम्नलिखित संलग्न होंगे -

- (क) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली के पक्ष में दो हजार रुपए प्रति मॉडल का आवेदन शुल्क अथवा भुगतान के किसी स्वीकार्य इलेक्ट्रॉनिक मोड में देय होगा;

(ख) प्रपत्र-1 में यथा: विनिर्दिष्ट दस्तावेज;

7. **अनुज्ञा प्रदान करना** - (1) विनियम 6 के तहत कोई आवेदन प्राप्त होने पर और इससे संतुष्ट होने पर कि इसमें दी गई सभी अपेक्षाओं का पालन किया गया है, ब्यूरो ऐसी प्राप्ति की तारीख से एक माह की अवधि के भीतर, विनियम 8 में यथा: विनिर्दिष्ट नियमों एवं शर्तों के अध्यक्षीन ट्यूबुलर फ्लोरसेंट लैंप पर प्रपत्र-II अथवा इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में लेबल चिपकाने के लिए अनुज्ञा प्रदान कर सकता है।

- (2) ब्यूरो, प्रपत्र-III में रजिस्टर बनाकर रखेगा और इसमें अनुज्ञाधारक के नाम प्रविष्ट करेगा;
- (3) उप-विनियम (1) के तहत इस प्रकार प्रदत्त अनुज्ञा उस अवधि तक मान्य होगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 14 के खण्ड (क) के तहत यथा: अधिसूचित ऊर्जा खपत मानक द्वारा स्टार स्तर के लिए विनिर्दिष्ट की गई है;
- (4) अनुज्ञाधारक द्वारा अनुज्ञा के नवीकरण के लिए आवेदन छह माह के भीतर किंतु इस अवधि की समाप्ति से तीन माह पूर्व किया जाएगा और इसके साथ ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली के पक्ष में मांग पत्र के रूप में या इलेक्ट्रॉनिक मोड में एक हजार रुपए का देय शुल्क होना चाहिए;
- (5) वैधता की अवधि समाप्त होने के बाद किसी आवेदन का नवीकरण नहीं किया जाएगा और अनुज्ञाधारक को नया आवेदन पत्र देना होगा;
- (6) उप- विनियम (4) के तहत नवीकरण के लिए आवेदन-पत्र मिलने पर और सभी अपेक्षाएं पूरी होने के संबंध में संतुष्ट होने पर, ब्यूरो ऐसा आवेदन प्राप्त होने की तारीख से एक माह की अवधि के भीतर प्रपत्र-II में अनुज्ञा का नवीकरण कर सकता है;
- (7) जो अनुज्ञाधारक उस तारीख ट्यूबुलर फ्लोरसेंट लैंप के मौजूदा मॉडल पर लेबल चिपकाने को जारी रखने की अनुज्ञा की मांग करता है, जिस तारीख से संशोधित स्टार स्तर लागू हुआ है, केवल प्रपत्र IV के अनुसार एक घोषणा प्रस्तुत करेगा;
- (8) यदि ट्यूबुलर फ्लोरसेंट लैंप के नए मॉडल की योजना संशोधित स्टार स्तर के साथ ताल-मेल बिठाकर शुरू करने की योजना है तो अनुज्ञाधारक नया लेबल चिपकाने की अनुज्ञा लेगा और ऐसी अनुज्ञा के लिए आवेदन संशोधित स्टार स्तर के लागू होने से छह माह पूर्व किया जाए;

8. **लेबल पर विवरण प्रदर्शित करने के लिए निबंधन और शर्तें** :- प्रत्येक अनुज्ञाधारक, व्यापारी एवं विक्रेता लेबल पर विवरण प्रदर्शित करने में निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों का पालन करेगा, नामत :-

- (क) ट्यूबुलर फ्लोरसेंट लैंप के लेबल पर प्रदर्शित स्टार स्तर अधिनियम की धारा 14 के खण्ड (क) के तहत केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित ट्यूबुलर फ्लोरसेंट लैंप के लिए ऊर्जा खपत मानकों के अनुरूप होंगे

- (ख) यह लेबल ट्यूबुलर फ्लोरसेंट लैम्प के ऐसे मॉडलों पर ही चिपकाया जाएगा जिसके लिए अनुज्ञा ली गई है;
- (ग) लेबल को अनुज्ञाधारक की लागत पर मुद्रित और ट्यूबुलर फ्लोरसेंट लैम्प पर चिपकाया जाएगा;
- (घ) अनुज्ञाधारक, व्यापारी और विक्रेता यह सुनिश्चित करेगा कि ट्यूबुलर फ्लोरसेंट लैम्प पर लेबल पर प्रदर्शित स्टार स्तर हर समय बना रहेगा;
- (ङ) अनुज्ञाधारक विनियम 9 में यथा: विनिर्दिष्ट लेबल शुल्क का भुगतान करेगा
- (च) अनुज्ञाधारक ब्यूरो को विवरण मुहैया करेगा जिसमें लेबल लगे उपकरणों को बनाने का ब्यौरा और वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही के अंत में निम्नलिखित माह के भीतर प्रत्येक तिमाही के लिए देय प्रोद्भूत लेबलिंग शुल्क का विवरण हो;
- (छ) अनुज्ञाधारक, ब्यूरो को अपने लेबल लगे उत्पादों की बिक्री के लिए नियुक्त प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल को अधिकृत वितरकों, डीलरों, थोक विक्रेताओं एवं विक्रेताओं की सूची मुहैया करेगा;
- (ज) अनुज्ञाधारक, व्यापारी और विक्रेता ऐसे अन्य नियमों एवं शर्तों का पालन करेंगे जो ब्यूरो द्वारा, मानक और लेबलिंग के संबंध में ब्यूरो की नियम पुस्तिका में निहित नियमों एवं शर्तों सहित विनिर्दिष्ट किए गए हों;

9. लेबल शुल्क- (1) प्रत्येक अनुज्ञाधारक, ब्यूरो को ट्यूबुलर फ्लोरसेंट लैम्प पर प्रत्येक चिपकाए गए लेबल के लिए पांच पैसे के लेबल शुल्क का भुगतान करेगा।

(2) उप-विनियम (1) के तहत विनिर्दिष्ट लेबल शुल्क, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख से एक माह के भीतर वार्षिक तौर पर किया जाएगा;

बशर्ते कि यथा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर लेबल शुल्क का भुगतान न करने पर, ब्यूरो विनियम 6 के उप-विनियम (3) के खण्ड (ख) के तहत प्रतिभूति जमानत राशि से दस प्रतिशत की दर से इस पर ब्याज वसूल करेगा और इसे जमा किए जाने की अंतिम तारीख से एक वर्ष के भीतर पूरा लेबलिंग शुल्क वसूल नहीं किया जाता तो ब्यूरो अनुज्ञाधारक को प्रदत्त सभी अनुज्ञा निरस्त कर सकता है और अनुज्ञाधारक का नाम चूककर्ता के रूप में समाचार पत्र में प्रकाशित कर सकता है।

10. लेबल जमानत शुल्क का प्रत्यर्पण :- विनियम 9 के उप-विनियम (2) के प्रावधान के अन्वये, अनुज्ञाधारक ट्यूबुलर फ्लोरसेंट लैम्प का विनिर्माण बंद करने पर लेबल जमानत शुल्क के प्रत्यर्पण का हकदार होगा।

11. ब्यूरो द्वारा सत्यापन- (1) ब्यूरो अथवा इसकी नामोद्दिष्ट एजेंसी, स्वयमेव अथवा इसे शिकायत प्राप्त होने पर, यह सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन करेगा कि ट्यूबुलर फ्लोरसेंट लैम्प इसके लेबल पर प्रदर्शित स्टार स्तर और अन्य विवरण के अनुरूप है और कि यह अनुज्ञा के अन्य निबंधनों एवं शर्तों के अनुपालन में है।

(2) सत्यापन के प्रयोजन के लिए, ब्यूरो अथवा विनिर्माता सुविधा से इसकी नामोद्दिष्ट एजेंसी, द्वारा जैसे यह उचित समझे, भण्डारगृह अथवा फुटकर विक्रय केन्द्र से यादृच्छिक तौर नमूने एकत्र करेगा।

(3) जहां उप- विनियम (1) के तहत शिकायत प्राप्त होने पर, ब्यूरो द्वारा जांच और अंशांकन प्रयोगशालाओं (एनएबीएल) हेतु राष्ट्रीय परीक्षण प्रत्यायन बोर्ड द्वारा विधिवत प्रत्यायित स्वतंत्र प्रयोगशाला में ट्यूबुलर फ्लोरसेंट लैम्प की जांच को चुनौती देकर सत्यापन करना अपेक्षित है, अनुज्ञाधारक को ऐसे परीक्षण के निष्पादन के लिए नोटिस जारी किया जाएगा और शिकायतकर्ता को ब्यूरो के पास परीक्षण, परिवहन संबंधी खर्च और अन्य आकस्मिक व्यय, ऐसी समयावधि में जमा कराने की मांग करेगा जो ब्यूरो द्वारा विनिर्धारित की गई हो और यदि जांच परीक्षण के तहत लिए गए नमूने विफल रहते हैं, ब्यूरो को नमूने लेने, नमूने के परिवहन और जांच प्रभारों की लागत के लिए सभी व्यय की प्रतिपूर्ति अनुज्ञाधारक द्वारा वहन की जाएगी और ब्यूरो उल्लिखित व्यय शिकायतकर्ता को प्रत्यार्पित करेगा और जहां उपकरण चुनौती परीक्षण पर खरे उतरते हैं, तब शिकायतकर्ता द्वारा जमा कराए गए व्यय जब्त कर लिए जाएंगे;

(3 क) जहां उप- विनियम (1) के तहत एक शिकायत प्राप्त होती है, यदि अनुज्ञा धारक उप- विनियम (3) में संदर्भित उक्त व्यय उक्त समय के अंदर जमा करने में विफल रहता है, तो ब्यूरो

(i) उप- विनियम (3) में संदर्भित ट्यूबुलर फ्लोरसेंट लैम्प के चुनौती परीक्षण द्वारा सत्यापन जारी रखेगा;

(ii) विनियम 6 के तहत आगे आवेदन पर कार्रवाई रोक देगा जब तक उक्त व्यय किए जाते हैं;

(4) जहां जांच के लिए ट्यूबुलर फ्लोरसेंट लैम्प के नमूने स्वयमेव परीक्षण अथवा चुनौती परीक्षण के दौरान परीक्षण में विफल रहते हैं, अनुज्ञाधारक को एक अन्य अवसर दिया जाएगा और ब्यूरो, अनुज्ञाधारक की लागत पर राष्ट्रीय परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशाला बोर्ड (एनएबीएल) द्वारा विधिवत प्रत्यायित स्वतंत्र प्रयोगशाला में प्रथम जांच में प्रयुक्त में ट्यूबुलर फ्लोरसेंट लैम्प के दो गुने परिमाण में दूसरा परीक्षण करेगा

(5) जहां, दूसरा परीक्षण विफल होता है, ब्यूरो,-

(क) प्रपत्र V, में अनुज्ञाधारक को सभी राज्य नामोद्दिष्ट एजेंसियों को निर्देश देगा कि अनुज्ञाधारक दो माह की अवधि के अंदर,-

i. ट्यूबुलर फ्लोरसेंट लैम्प के लेबल पर सही स्टार स्तर प्रदर्शित करेगा अथवा जांच के दौरान पाई गई त्रुटियों और कमियों को दूर करेगा;

- ii. ब्यूरो के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में बाजार से सभी स्टॉक को वापस लेगा; और
- iii. विज्ञापित सामग्री पर प्रदर्शित विवरण में परिवर्तन करेगा।

(ख) उपभोक्ताओं के लाभ के लिए, दो माह के भीतर अनुज्ञाधारक का नाम, ब्राण्ड का नाम, मॉडल का नाम अथवा मॉडल संख्या, प्रतीक चिह्न और अन्य विनिर्दिष्ट किसी दैनिक राष्ट्रीय अथवा क्षेत्रीय समाचार-पत्र और इलेक्ट्रॉनिक अथवा यथोचित किसी अन्य तरीके से ब्यूरो नामोद्दिष्ट एजेंसियों से परीक्षण परिणामों की प्राप्ति की तिथि से प्रकाशित करेगा।

(ग) संबंधित राज्य नामोद्दिष्ट एजेंसी को अधिनियम की धारा 27 के तहत अनुज्ञाधारक और व्यापारी के खिलाफ न्यायिक कार्रवाई करने के लिए सूचित करेगा।

(6) अनुज्ञाधारक उप-विनियम (5) में संदर्भित दो माह की अवधि समाप्त होने के दस दिनों के भीतर,-

(क) ब्यूरो को दिशा-निर्देश के अनुपालन में की गई कार्रवाई के संबंध में प्रपत्र VI में अनुपालन रिपोर्ट भेजेगा; और

(ख) जहां खण्ड (क) में संदर्भित अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है अथवा पूर्वकथित विनिर्धारित अवधि के भीतर निर्देश का पालन किए बिना प्राप्त होती है, इसे जारी निर्देशों का गैर- अनुपालन माना जाएगा और ब्यूरो द्वारा इस आशय के अनिवार्य आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

(7) ब्यूरो अधिनियम की धारा 17 के तहत कार्रवाई करने के प्रयोजनार्थ सभी राज्य नामोद्दिष्ट एजेंसियों को उप-विनियम (6) के खण्ड (क) में संदर्भित अनुपालन रिपोर्ट और खण्ड (ख) में जारी आदेशों की एक प्रति, आवश्यक दस्तावेजों सहित भेजेगा और उल्लिखित खण्ड (ख) के तहत जारी आदेशों का प्रत्यावर्तन करेगा;

(8) जहां अनुज्ञाधारक, ब्यूरो द्वारा विनियमन 11 के उप-विनियम (5) के तहत जारी किए गए दिशा-निर्देशों का अनुपालन करने में विफल रहता है, वहां ब्यूरो सभी राज्य नामोद्दिष्ट एजेंसियों को सूचना देते हुए;

(क) विनियम 7 के उप विनियम (1) के तहत अनुज्ञाधारक को प्रदत्त अनुमति वापस ले लेगा;

(ख) केन्द्रीय सरकार को अनुज्ञाधारक द्वारा ऊर्जा खपत अधिनियम की धारा 14 के खण्ड (क) के तहत केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित ऊर्जा खपत मानक और ब्यूरो द्वारा उप-विनियम (6) के खण्ड (क) द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन करने में विफलता के समर्थन में जांच रिपोर्ट के साथ, विचारार्थ और केन्द्रीय सरकार द्वारा ऊर्जा खपत अधिनियम की धारा 14 के खण्ड (ग) के तहत कार्रवाई करने हेतु रिपोर्ट भेजेगा।

- (ग) उपभोक्ताओं के लाभ के लिए, दो माह के भीतर, किसी राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र में और किसी इलेक्ट्रॉनिक या किसी अन्य, तरीके से जैसा ब्यूरो द्वारा उचित समझा जाए, अनुज्ञाधारक का नाम, ब्रांड नाम, मॉडल का नाम या मॉडल संख्या, लोगो और अन्य विनिर्देशन प्रकाशित करेगा;
- (घ) संबंधित राज्य नामोद्दिष्ट एजेंसियों को अधिनियम की धारा 27 के तहत अनुज्ञाधारक और व्यापारी के खिलाफ आगे कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए सूचित करेगा।

12. अनुमति को निरस्त करना- ब्यूरो विनियम 7 के तहत अनुमति को मंसूख कर सकता है, यदि अनुज्ञाधारक -

- (क) विनियम 8 के तहत विनिर्दिष्ट किसी नियम और शर्त का पालन नहीं करता;
- (ख) विनियम 9 के तहत विनिर्दिष्ट अवधि के अंदर उत्पादन के आंकड़ों के अनुसार लेबल शुल्क का भुगतान नहीं करता;
- (ग) विनियम 11 के तहत जारी निर्देशों का अनुपालन नहीं करता

अनुसूची



(विनियम 3 (2) देखें)

ड्यूबलर फ्लोरसेंट लैम्पों के लेबलों पर प्रदर्शित किए गए विवरण

(1) लेबल डिजाइन, साइज, रंग की योजना और लेबल की सामग्री में ये शामिल होंगे -

(i) लेबल के निम्नलिखित आयाम की डिजाइन, अर्थात :-

(क) 30 जून 2018 तक वैध



(ख) 1 जुलाई 2018 से 30 जून 2020 तक वैध

लाल (R):54 हरा(G):55 नीला(B):151
 सियान (C):97% मैजेंटा (M):95% पीला (Y):6% काला(K):1%
 वेब कलर कोड - #363797

हरा -

ह्यू (H)- 150° सेचुरेशन (S): 10% ब्राइटनेस(B): 67%
 ल्यूमिनेंस या लाइटनेस (L) : 61, क्रोमेटिक पुर्जे -a: 53 b:32
 लाल (R): 0 हरा(G): 170 नीला(B): 87
 सियान (C): 81% मैजेंटा (M): 10% पीला (Y): 90% काला (K): 1%
 वेब कलर कोड - #00AA56;

(2) लेबल सामग्री

लेबल अपने आप चिपकने वाला और ट्यूबुलर फ्लोरसेंट लैम्प पर मुद्रित होना चाहिए और लेबल की डिजाइन और आयाम इन विनियमों में बताए गए नमूना लेबल में से एक प्रकार का हो सकता है।

प्ररूप।

[विनियम 6 देखें]

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (ट्यूबुलर फ्लोरसेंट लैम्प के लेबल प्रदर्शित करने का विवरण और प्रविधि) विनियमन, 2009 के तहत ट्यूबुलर फ्लोरसेंट लैम्प पर लेबल चिपकाने की अनुमति हेतु आवेदन-पत्र

महा निदेशक
 ऊर्जा दक्षता ब्यूरो
 (विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार) चौथा तल, सेवा भवन, सेक्टर - 1, आर. के. पुरम
 नई दिल्ली- 110 066
 भारत

1. मैं / हम _____ (व्यक्ति या फर्म का पूरा नाम) _____ की शैली के अंतर्गत _____ (व्यवसाय का पूरा पता) व्यवसाय करने के लिए ट्यूबुलर फ्लोरसेंट लैम्प का/के विनिर्माता अथवा आयातक हूँ / हैं जैसा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (ट्यूबुलर फ्लोरसेंट लैम्प पर उनका लेबल प्रदर्शित करने का विवरण और प्रविधि) विनियमन, 2009 में ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट है, ट्यूबुलर फ्लोरसेंट लैम्प पर प्रदर्शित करने / लगाने की अनुमति पाने हेतु आवेदन करता हूँ / करते हैं।
2. विनिर्माता सुविधा: उपरोक्त उपकरण भारत में _____ (कंपनी का नाम) द्वारा विनिर्मित किया जाता है और _____ (कारखाने का नाम और पता) में विनिर्मित किया जाता है।
3. दी गई सूचना का विवरण : उपकरण, कंपनी, विनिर्माण सुविधा, परीक्षण उत्पादों के लिए प्रमाणन, लेबल और भुगतान संबंधी विस्तृत विवरण अनुलग्नक में दिया गया है। फर्म पंजीयक अथवा संस्थाओं/ उद्योग निदेशक (छोटे पैमाने की इकाइयों के मामले में) द्वारा जारी निगमन प्रमाणपत्र अथवा अन्य सदृश दस्तावेजों की प्रति संलग्न है जो फर्म का नाम और इसके विनिर्माण परिसरों को अनुप्रमाणित करते हैं, संलग्न है।

- क) आवेदक/अधिकृत व्यक्ति: _____ (नाम और पदनाम) कंपनी/ फर्म आदि की ओर से यह आवेदन करने के लिए अधिकृत है और वह इस आवेदन के साथ मुहैया कराई गई सूचना की सटीकता एवं अधिप्रमाणिकता के लिए उत्तरदायी होगा।
- ख) संपर्क व्यक्ति: _____ (नाम और पदनाम) इस आवेदन और लेबल के उपयोग के संबंध में ब्यूरो के साथ समन्वय करने के लिए अधिकृत संपर्क व्यक्ति है।
- ग) मैं/हम उपरोक्त (क) अथवा (ख) में परिभाषित अधिकृत व्यक्तियों में किसी परिवर्तन के बारे में ब्यूरो को तत्काल सूचित करने का वचन देता हूँ/ देते हैं।

4. मानकों का अनुपालन : मैं/हम _____ (उपकरण का नाम) के लिए _____ (अधिसूचना का शीर्षक) के संबंध में अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट आईएस/अन्य (मानक का नाम और संख्या) _____ के अनुसार गुणवत्ता प्रणाली/ अन्य मानकों के संबंध में भारतीय मानक ब्यूरो / अन्य अंतरराष्ट्रीय मानकों का पालन करते हैं।

संगठन और / अथवा उपरोक्त उपकरण के संबंध में लाइसेंस/प्रमाणपत्र की छायाप्रति संलग्न है।

मैंने / हमने, उपकरण की गुणवत्ता की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए अपनी आंतरिक प्रयोगशाला _____ अथवा एनएवीएल द्वारा प्रत्यायित प्रयोगशाला _____ (प्रयोगशाला का नाम और पता) में परीक्षण हेतु व्यवस्था कर ली है।

स्वतंत्र प्रयोगशाला का ब्यौरा :

- क) परीक्षण का विवरण : (परीक्षण प्रक्रियाएं / नाम / संख्या)
- ख) प्रत्यायन की स्थिति :
- ग) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का अनुमोदन :

5. मेरी/ हमारी जानकारी और अनुमान के अनुसार, कथित उपकरण के उत्पादन और बिक्री संबंधी आंकड़े और इनका मूल्य निम्नानुसार हैं :

वर्ष	उत्पादन	बिक्री	उपकरण का अधिकतम खूदरा मूल्य (₹.)
..... से तक अंतिम वर्ष			
..... से तक चालू वर्ष (अनुमान)			

6. (क) मांग पत्र सं. _____ दिनांक _____ / इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा दो हजार रुपए के आवेदन शुल्क का भुगतान कर दिया गया है।

(ख) मांग पत्र सं. _____ दिनांक _____ / इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा एक लाख रुपए या पच्चीस हजार रुपए _____ की लेबल प्रतिभूति जमा शुल्क का भुगतान कर दिया गया है (लेबल प्रतिभूति शुल्क जमा करने के समय भरा जाए)

(ग) मैं/हम ब्यूरो द्वारा यथा विनिर्दिष्ट पांच पैसे प्रति लेबल के लेबलिंग शुल्क का भुगतान करने के लिए सहमत हूँ/हैं।

7. मैं/हम ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट सभी निबंधनों एवं शर्तों का पालन करने और ब्यूरो द्वारा कोई पूछताछ किए जाने की स्थिति में उसे आवश्यक सहायता/सहयोग देने को सहमत हूँ/हैं।

8. मैं/हम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को सत्यापन के लिए नमूने का चयन करने और परीक्षण को चुनौती देने के लिए अधिकृत करता हूँ/करते हैं और इस संबंध में ब्यूरो के निर्देशों का पालन करने को सहमत हूँ/हैं।

9. मैं/हम यह घोषणा करता हूँ/ करते हैं कि इस आवेदन पत्र में दी गई सूचना मेरी/हमारी जानकारी के अनुसार सही है और यदि कोई सूचना गलत पाई जाती है; आवेदन-पत्र को तत्काल अस्वीकृत किया जा सकता है।

दिनांक दिन वर्ष.....
हस्ताक्षर
नाम
पदनाम
के लिए और उनकी ओर से
(फर्म का नाम)
फर्म की मुहर

प्ररूप II

[विनियम 7 का उप नियम (1) देखें]

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (ऒूबुलर फ्लोरसेंट लैम्प पर लेबल प्रदर्शित करने का विवरण और प्रविधि) विनियमन, 2009 के तहत ऒूबुलर फ्लोरसेंट लैम्प पर लेबल लगाने की अनुमति / अनुमति का नवीकरण

नई दिल्ली, दिनांक

सेवा में,

.....
.....

1. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (ऒूबुलरफ्लोरसेंट लैम्प पर लेबल प्रदर्शित करने का विवरण और प्रविधि) विनियमन, 2009 के विनियम 7 के प्रावधानों के अनुसरण में, ब्यूरो एतद्द्वारा आपको इस पत्र के साथ अनुबंध में बताए गए अनुमोदनों के ब्यौरे के अनुसार स्टांपित और प्रिंट करने अथवा लेबल लगाने की अनुमति प्रदान करता है।
2. यह अनुमति निम्नलिखित के अध्वधीन है —
 - (क) ऒूबुलर फ्लोरसेंट लैम्प के लेबल पर दर्शाए गए स्टार स्तर अधिनियम की धारा 14 के खण्ड (क) और उपरोक्त कथित विनियमों में दी गई शर्तों तथा निबंधनों के तहत अधिसूचित ऒूबुलर फ्लोरसेंट लैम्प के खपत मानकों और उल्लिखित विनियमों में दिए गए नियमों व शर्तों को पूरा करता हो;
 - (ख) लेबल ऒूबुलर फ्लोरसेंट लैम्प के उस माँडल पर ही चिपकाया जाएगा जिसके लिए अनुमति प्रदान की गई है;
 - (ग) लेबल, अनुज्ञाधारक की लागत पर मुद्रित और ऒूबुलर फ्लोरसेंट लैम्प पर चिपकाया जाएगा;
 - (घ) अनुज्ञाधारक यह सुनिश्चित करेगा कि ऒूबुलर फ्लोरसेंट लैम्प पर प्रदर्शित स्टार स्तर हमेशा बना रहेगा;
 - (ङ) अनुज्ञाधारक प्रति लेबल पांच पैसे का भुगतान करेगा;
 - (च) अनुज्ञाधारक ब्यूरो को एक विवरण मुहैया करेगा जिसमें लेबल धारक उपकरण के उत्पादन और वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही के अंत से तीस दिनों की समय अवधि के अंदर प्रत्येक तिमाही के लिए प्रोद्भूत लेबलिंग शुल्क का विवरण होगा। यह विवरण ब्यूरो को स्वचालित प्रणालियों के माध्यम से भी प्रदान किया जाएगा।

- (छ) अनुज्ञाधारक ट्यूबुलर फ्लोरसेंट लैम्प के संबंध में अन्य विवरण, जिसके लिए अनुमति प्रदान की गई है, जैसे और जब भी ब्यूरो द्वारा मांगा जाता है, भी प्रदान करेगा।
3. यह अनुमति से तक मान्य होगी और विनिर्देशों के अनुसार इसका नवीकरण कराया जा सकता है। अनुज्ञा धारक बाजार से अनुमति की वैधता अवधि के दौरान ब्यूरो के पूर्व अनुमोदन के बिना ट्यूबुलर फ्लोरसेंट लैम्प को वापस नहीं लेगा।
4. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा उपकरण के लिए दी गई विशेष लेबल श्रृंखला है और अनुमोदित डिजाइन के अनुसार यह लेबल पर स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए।
5. जहां केन्द्रीय सरकार द्वारा समीक्षाधीन स्टार स्तर योजना में आशोधन किया गया है, ट्यूबुलर फ्लोरसेंट लैम्प का स्टार स्तर निम्नानुसार आशोधित होगा:-
- (क) यदि संशोधित स्टार स्तर के सामंजस्य में नया मॉडल शुरू किया जाता है, ऐसी अनुमति के लिए ब्यूरो के पास उस तारीख से छह माह अग्रिम में आवेदन किया जाए जिस तारीख से नए स्टार स्तर लागू होंगे;
- (ख) जहां परिवर्तित स्टार स्तर लागू करने के लिए मौजूदा मॉडल को जारी रखा जाता है, ब्यूरो के पास प्ररूप IV में घोषणा ही प्रस्तुत की जाएगी।
6.तारीखमाह..... वर्ष को हस्ताक्षरित, मुहरबंद और दिनांकित

भवदीय

(सचिव)

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

प्ररूप III

(विनियम 7 का उप विनियम (2) देखें)

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा रखे जाने वाले अनुज्ञाधारकों के रजिस्टर (टेम्पलेट)

क्र. सं.	आवेदन सं. और अनुमति की तिथि	अनुज्ञाधारकों का नाम और विवरण (संपर्क व्यक्ति, पता, पिन कोड, राज्य, फोन सं., फैक्स नं., ई-मेल, वेबसाइट)	उपकरण के विवरण जिनकी अनुमति प्रदान की गई है	स्टार स्तर या दक्षता स्तर की घोषणा	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो अनुमति संख्या और यूनिट लेबल सीरिज	अवधि जिसमें अनुमति प्रदान की गई है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

लेबल प्रतिभूति शुल्क की राशि	(रेखांकित डिमांड ड्राफ्ट (विवरण) / इलेक्ट्रॉनिक लेन-देन (विवरण) : तिथि:) से प्राप्त लेबल प्रतिभूति शुल्क	प्राप्त आवेदन शुल्क का मूल्य	(रेखांकित डिमांड ड्राफ्ट (विवरण) / इलेक्ट्रॉनिक लेन-देन (विवरण) : तिथि:) से प्राप्त आवेदन शुल्क की राशि के विवरण
------------------------------	--	------------------------------	--

(8)	(9)	(10)	(11)

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान लगाए गए लेबलों की कुल संख्या	प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के लिए योग्य शुल्क के लेबलिंग की राशि	प्रत्येक वित्तीय वर्ष (रेखांकित डिमांड ड्राफ्ट (विवरण) / इलेक्ट्रॉनिक लेन-देन (विवरण) : तिथि:) के लिए प्राप्त विवरण के लेबलिंग शुल्क	टिप्पणियां
(12)	(13)	(14)	(15)

प्ररूप IV

[विनियम 7 का उप-विनियम (7) देखें]

अनुज्ञाधारक द्वारा मौजूदा मॉडल पर लेबल चिपकाने को जारी रखने की मांग करते हुए घोषणा (प्रत्येक भिन्न मॉडल के लिए, संबंधित अनुबंध सहित एक पृथक पत्र प्रस्तुत किया जाएगा)
(लेबल के निगमित निकाय / अनुज्ञाधारक के लेटर हैड पर)

दिनांक :

सेवा में,
महानिदेशक
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो
(विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार)
चौथा तल, सेवा भवन,
सेक्टर - 1, आर. के. पुरम
नई दिल्ली - 110 066
भारत

विषय : ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (ऋबुलर फ्लोरसेंट लैम्पों पर लेबल प्रदर्शित करने का विवरण और प्रविधि) विनियमन, 2009 के जरिए

..... से लागू स्टार स्तर में परिवर्तन के संबंध में लेबल चिपकाने की अनुमति के लिए आवेदन पत्र -

1. मैं/हम [व्यक्ति या फर्म का पूरा नाम] की शैली में [कंपनी का नाम, पूरे पते सहित] में व्यवसाय करने वाला/वाले ऋबुलर फ्लोरसेंट लैम्प का/के विनिर्माता/ आयातक हूं/ हैं और एतद्वारा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (ऋबुलर फ्लोरसेंट लैम्पों पर उनका लेबल प्रदर्शित करने का विवरण और प्रविधि) विनियमन, 2009 में ब्यूरो द्वारा यथा विनिर्दिष्ट **ऋबुलर फ्लोरसेंट लैम्प** पर लेबल चिपकाने की अनुज्ञा के लिए आवेदन करता हूं/करते हैं, जिसमें..... से स्टार स्तर में संशोधन होगा।
2. उपरोक्त उपकरण [व्यक्ति या फर्म का पूरा नाम] द्वारा विनिर्मित है और इसका (कारखाने का नाम और पता) में विनिर्माण किया गया है अथवा (आयातक का नाम और पता) से आयात किया गया है।
3. नए स्टार लेबल के लिए अनुरूपता : मैं/हम ऋबुलर फ्लोरसेंट लैम्प के लिए अधिसूचना का. आ. सं. दिनांक को स्वीकार करते हैं। उपरोक्त उपकरण के संबंध में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के अनुमोदन की प्रति (जिसे पूर्व में अनुमोदित किया गया था) संलग्न है।
4. ऋबुलर फ्लोरसेंट लैम्प के संबंध में बीईई लेबल (स्टार स्तर परिवर्तन के परिशोधन के अनुसार) की प्रति संलग्न है।
5. स्टार स्तर के संशोधन के अनुसार उपकरण/मॉडल का ब्यौरा

मॉडल का नाम -

विवरण	घोषित मान	
पावर (वॉट्स)	--	
ल्यूमिनस फ्लक्स (ल्यूमेंस)		
ल्यूमिनस दक्षता (एलएम / डब्ल्यू)		
स्टार रेटिंग	(मौजूदा स्टार लेवल के अनुसार)	(संशोधित स्टार लेवल के अनुसार)

6. मैं/हम, स्टार स्तर को (मौजूदा स्टार लेबल स्तर) को (संशोधित स्टार लेबल स्तर) में मैन्युअल आवेदन तथा ऑनलाइन वेब पोर्टल में बदलने के लिए सहमत हूँ / हैं।

7. मैंने ट्यूबुलर फ्लोरोसेंट लैम्प मॉडल के लिए अभी तक तिमाही उत्पादन आंकड़े और लेबलिंग शुल्क जमा करा दिया है।

8. मैं/हम, ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट सभी निबंधनों और शर्तों का पालन करने और यदि ब्यूरो द्वारा कोई पूछताछ की जाती है, उसे आवश्यक सहायता/ सहयोग देने को सहमत हूँ/हैं।

9. मैं/हम, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को सत्यापन करने और जांच को चुनौती देने के लिए नमूने का चयन करने पर आपत्ति उठाने का कोई अधिकार नहीं है और इस संबंध में ब्यूरो के दिशा-निर्देशों का पालन करने को सहमत हूँ/हैं।

10. मैं/हम यह वचन देता हूँ/ देते हैं कि इस आवेदन - पत्र में दी गई सूचना मेरी/हमारी जानकारी के अनुसार सही है और यदि इसमें दी गई कोई सूचना गलत पाई जाती है, आवेदन को तत्काल अस्वीकृत किया जा सकता है।

दिनांक:

दिन (वर्ष)

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

..... के लिए और उनकी ओर से

(फर्म का नाम)

फर्म की मुहर

प्ररूप V

[विनियम 11 का उप विनियम (5) देखें]

अनुज्ञाधारक को दूसरे जांच परीक्षण में विफल रहने पर निदेश

नई दिल्ली, दिनांक

सेवा में

.....

.....

- ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (ट्यूबुलर फ्लोरोसेंट लैम्प पर लेबल प्रदर्शित करने का विवरण और प्रविधि) विनियमन, 2009 के अनुसरण में विनियम 7 के प्रावधानों के अनुसरण में आपको इसमें विनिर्दिष्ट निबंधनों एवं शर्तों का अनुपालन करने की शर्त पर ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के दिनांक के पत्रांक..... के जरिए ट्यूबुलर फ्लोरोसेंट लैम्प पर लेबल चिपकाने की अनुमति दी गई थी।
- ब्यूरो द्वारा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (ट्यूबुलर फ्लोरोसेंट लैम्प पर उनके लेबल प्रदर्शित करने का विवरण और प्रविधि) विनियमन, 2009 के विनियम के तहत आपके अधिकृत वितरक, डीलर, खुदरा व्यापारी से रुपए की कीमत की

- दिनांक की इनवॉयस संख्या के जरिए लेबल पर प्रदर्शित विवरणों के सत्यापन के लिए बीईई स्टार के लेबल वाला ट्यूबुलर फ्लोरेसेंट लैम्प खरीदा गया था। ये नमूने ब्यूरो द्वारा नियुक्त एजेंसी, मैसर्स..... द्वारा दिनांक..... को उपरोक्त उल्लिखित विनियम के विनियम 3 के तहत लेबल, जो उल्लिखित खरीदे गए ट्यूबुलर फ्लोरेसेंट लैम्प पर आपके द्वारा चिपकाया गया था, खरीदे गए थे। इन नमूनों को मैसर्स से विशिष्ट पहचान श्रृंखला सं. मैसर्स का विधिवत मुहरबंद नमूना, मैसर्स(वितरक, डीलर, खुदरा व्यापारी का नाम) से, सत्यापन एजेंसी के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर सहित प्राप्त किया गया था।
3. ब्यूरो ने अपनी उल्लिखित सत्यापन एजेंसी के माध्यम से पैरा 2 में संदर्भित नमूना मैसर्स....., राष्ट्रीय प्रत्यायन परीक्षण और अंशांकन बोर्ड (एनएबीएल) प्रत्यायित प्रयोगशाला को का. आ. सं..... दिनांक के पैराग्राफ 4 और 5 में दी गई जांच प्रक्रिया के अनुसार, का. आ. सं..... दिनांक के अनुलग्नक में दिए गए प्रपत्र..... के अनुसार जांच रिपोर्ट देने के लिए जांच करने के लिए भेजा था।
 4. विशेष पहचान श्रृंखला संख्या वाले नमूने की जांच रिपोर्ट के परिणाम संलग्न हैं। जांच रिपोर्ट के परिणाम दर्शाते हैं कि नमूने वाले ट्यूबुलर फ्लोरेसेंट लैम्प ऊर्जा खपत के मानक, ल्यूमेन आदि को पूरा करने में विफल रहे और यह आपके द्वारा विनिर्मित/आयातित ट्यूबुलर फ्लोरेसेंट लैम्प के संबंध में लेबल चिपकाने के लिए मांगी गई अनुमति के लिए आपके द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्ररूप 1 में आपके द्वारा मुहैया कराए गए जांच के ब्यौरे की पुष्टि नहीं करते। बीईई के दिनांक के पत्रांक के जरिए जांच के परिणाम आपके अधिकृत संपर्क व्यक्ति के नाम में आपको भेज दिए गए थे। आपसे अनुरोध किया जाता था कि राष्ट्रीय प्रत्यायन परीक्षण और अंशांकन बोर्ड (एनएबीएल) प्रत्यायित प्रयोगशाला मैसर्स में नमूनों के दूसरे जांच सत्यापन परीक्षण में हिस्सा लें।
 5. हमारी अधिकृत एजेंसी मैसर्स के जरिए दिनांक दूसरे जांच सत्यापन परीक्षण के लिए नमूने उठाकर हमारी अधिकृत एजेंसी मैसर्स..... द्वारा विधिवत मुहरबंद कर राष्ट्रीय प्रत्यायन परीक्षण और अंशांकन बोर्ड द्वारा प्रत्यायित प्रयोगशाला में भेजे गए थे और सत्यापन एजेंसी के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि के साथ-साथ आपके प्रतिनिधियों के हस्ताक्षराधीन से प्राप्त कथित नमूनों पर उत्कीर्ण विशेष पहचान श्रृंखला संख्या दी गई थी।
 6. दूसरे जांच सत्यापन परीक्षण के परिणाम संलग्न हैं जिनकी राष्ट्रीय परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशाला बोर्ड द्वारा प्रत्यायित प्रयोगशाला के सक्षम अधिकृत कार्मिक द्वारा जांच की गई है और जिनके संबंध में प्रतिहस्ताक्षर किए गए हैं। जांच रिपोर्ट पर दूसरे जांच परीक्षण के साक्ष्य के तौर पर आपके हस्ताक्षरकर्ता द्वारा भी विधिवत हस्ताक्षर किए गए हैं। जांच परिणामों से पुष्टि होती है कि ये का.आ. संख्यांक दिनांक में दिए गए अपेक्षित मानदण्डों और मानकों और आपको बाजार में विनिर्मित / आयातित एवं बिक्री किए गए ट्यूबुलर फ्लोरेसेंट लैम्प पर लगे लेबल पर दिए गए विवरण को दर्शाने के लिए आपको दी गई अनुमति के निबंधनों और शर्तों को पूरा नहीं करते।
 7. अतः, अब ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (ट्यूबुलर फ्लोरेसेंट लैम्प पर लेबल प्रदर्शित करने का विवरण और प्रविधि) विनियमन, 2009 के विनियम (11) के उप विनियम (5) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, ब्यूरो निदेश देता है कि ट्यूबुलर फ्लोरेसेंट लैम्प के लेबल पर प्रदर्शित स्टार स्तर को सही करें अथवा जांच के दौरान पाई गई त्रुटियों और कमियों को दूर करें; ब्यूरो के निर्देशों का पालन करने के लिए बाजार से सभी स्टॉक वापस ले लें; और विज्ञापन की सामग्री में प्रदर्शित किए गए विवरण में परिवर्तन करें।
 8. आपको एतद्द्वारा निदेश दिया जाता है कि इस पत्र के जारी किए जाने की तारीख से दो माह के भीतर उल्लिखित सुधारात्मक कार्रवाई पूरी करें और दो माह की समाप्ति के बाद 10 दिन के भीतर अर्थात् तक प्रपत्र VI में अनुपालन रिपोर्ट भेजें। यदि उक्त तारीख तक कोई अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती तो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (ट्यूबुलर फ्लोरेसेंट लैम्प पर लेबल प्रदर्शित करने का विवरण और प्रविधि) विनियमन, 2009 के विनियम 11 के उप- विनियम (6) के खण्ड (ख) की शर्तों के अनुसार कार्रवाई करेगा।
 9. ब्यूरो, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (ट्यूबुलर फ्लोरेसेंट लैम्प पर लेबल प्रदर्शित करने का विवरण और प्रविधि) विनियमन, 2009 के विनियम 11 के उप-विनियम (5) (6) (7) और (8) की शर्तों के अनुसार, मामले में और आगे कार्रवाई करेगा।

सचिव,

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

संलग्नक :

1. विफल मॉडल की परीक्षण रिपोर्ट
2. विनिर्माता के साथ पत्राचार

प्ररूप VI

[विनियम 11 का उप-नियम (6) देखें]
की गई कार्रवाई रिपोर्ट
(संगठन के लैटर हेड पर प्रस्तुत किया जाए)

सेवा में,

.....

तिथि

सचिव

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

(विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार)

चौथा तल, सेवा भवन,

सेक्टर - 1, आर. के. पुरम

नई दिल्ली - 110 066

भारत

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (ऋबुलर फ्लोरेसेंट लैम्प पर लेबल प्रदर्शित करने का विवरण और प्रविधि) विनियमन, 2009 के विनियम 7 के प्रावधानों के अनुसार, हमें में ऋबुलर फ्लोरेसेंट लैम्प के विनिर्माता की ऊर्जा की खपत मानक के अनुरूप बीईई पत्र सं..... दिनांक के लिए मॉडल संख्या द्वारा स्टार लेबल के ऋबुलर फ्लोरेसेंट लैम्प पर लेबल लगाने की अनुमति दी गई थी।

विनियम, 2009 (ऋबुलर फ्लोरेसेंट लैम्प पर लेबल प्रदर्शित करने का विवरण और प्रविधि) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के विनियमन 11 के उप-विनियम (5) के प्रावधानों के अनुसार, हम आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए बीईई पत्र संख्या दिनांक..... द्वारा निर्देश दिया गया। बीईई द्वारा जारी किए गए निर्देश के आलोक में, हम इसके द्वारा घोषित करते हैं कि हमारी ओर से निम्न गतिविधियों को किया गया है।

	कार्रवाई का निर्देश	स्थिति	की गई कार्रवाई
(i)	ब्यूरो के निर्देशों का पालन करने के साथ ऋबुलर फ्लोरेसेंट लैम्प के स्तर पर प्रदर्शित स्टार स्तर सुधारे	हां/नहीं/लागू नहीं	स्टार स्तर (तिथि)से प्रभावी स्टारसेस्टार तक सही किया गया है।
(ii)	ब्यूरो के निर्देशों का पालन करने के साथ बाजार से सभी स्टॉक वापस ले लें और	हां/नहीं/लागू नहीं	बाजार से सभी स्टॉक को ब्यूरो के निर्देशों का पालन करने के साथ वापस ले लिया गया है।
(iii)	विज्ञापन सामग्री पर प्रदर्शित ब्यौरे बदलें।	हां/नहीं/लागू नहीं	हां/नहीं/लागू नहीं

उपरोक्त दी गई घोषणा हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

के लिए और उनकी ओर से

2. कंपनी के ब्यौरे

कंपनी का नाम	
पता	
पिन कोड	
राज्य	
फोन नं .	
फैक्स नं .	
ई मेल-	
वेबसाइट	
केवल अनुज्ञा धारक द्वारा लेबल प्रतिभूति शुल्क को जमा करने के समय जमा किए जाने वाले दस्तावेज :	
(1) कवर पत्र	
(2) निर्माण या व्यावसायिक परिसर के सत्यापित दस्तावेज का नाम और पते	
(3) ट्रेड मार्क प्रमाण-पत्र	
(4) एसएसआई प्रमाणपत्र, यदि लागू है	
(5) गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली प्रमाणपत्र	
(6) प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता पत्र	
(7) बीआईएस लाइसेंस, यदि लागू है	
(8) यदि भुगतान ऑनलाइन डिमांड ड्राफ्ट (प्रतिभूति जमा) / भुगतान रसीद से कर दिया गया है।	

3. विनिर्माण परिसर के ब्यौरे

पता	
पिन कोड	
राज्य	
फोन नं .	
फैक्स नं .	
ई मेल	
वेबसाइट	
अन्य कोई ब्यौरा (यदि कोई हो)	

4. जांच प्रयोगशाला के ब्यौरे

जांच प्रयोगशाला का नाम	
------------------------	--

प्रयोगशाला की प्रत्यायन स्थिति (प्रत्यायन प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें)	
संगत मानक की प्रत्यायन स्थिति (प्रत्यायन प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें)	
प्रत्यायन की वैधता (समर्थन दस्तावेज संलग्न करें)	
पता	
पिन कोड	
राज्य	
फोन नं .	
फैक्स नं .	
ई मेल-	
वेबसाइट	

5. लेबलिंग सूचना

प्रारंभ की तिथि	
बी ई ई के लिए प्रयुक्त लेबलों का नाम पहले वर्ष के लिए - दूसरे वर्ष के लिए - तीसरे वर्ष के लिए -	
उत्पाद सीरिज सं.	सेतक

6. भुगतान के विवरण

	कुल राशि	भुगतान का ब्यौरा (डिमांड ड्राफ्ट का ब्यौरा/ इलेक्ट्रॉनिक भुगतान का ब्यौरा)
आवेदन शुल्क		
प्रतिभूति जमा		

तिथि.....

हस्ताक्षर.....

नाम

पदनाम

के लिए और उनकी ओर से

(फर्म का नाम)

फर्म की मुहर

अनुलग्न ख
(प्ररूप 2 का पैरा 1 देखें)
अनुमोदन के ब्यौरे

1. उपकरण के ब्यौरे

मिलीमीटर में ट्यूबुलर फ्लोरोसेंट लैंप का आकार
ट्यूबुलर फ्लोरोसेंट लैंप का रंग तापमान
विनिर्माण का वर्ष
पंजीकरण सं. और ट्रेड मार्क की तिथि
वाॅट में ट्यूबुलर फ्लोरोसेंट लैंप की रेटिंग

क्र. सं.	मॉडल का नाम/नंबर	मापे गए मान				घोषित मूल्य				टिप्पणियां
		पावर (वाॅट)	ल्यूमिनस फ्लक्स (ल्यूमेंस)	ल्यूमिनस प्रभाव (एलएम/वाॅट)	स्टार स्तर	पावर (वाॅट)	ल्यूमिनस फ्लक्स (ल्यूमेंस)	ल्यूमिनस प्रभाव (एलएम/वाॅट)	स्टार स्तर	

2. लेबल के ब्यौरे

उपकरण	
प्रकार	
निर्माता / आयातक / ब्रांड का नाम	
मॉडल का नाम / संख्या	
स्टार लेवल	
ट्यूबुलर फ्लोरोसेंट लैंप का आकार	
विनिर्माण का वर्ष	
ल्यूमिनस प्रभाव (एल एम / डब्ल्यू)	

3. ढ्यूबुलर फ्लोरोसेंट लैप के बाहरी आवरण / स्लीव पर लगाया जाने वाला ब्यूरो द्वारा विधिवत अनुमोदित लेबल का नमूना, जो नीचे दर्शाया गया है:

(1) बाहरी आवरण/स्लीव

(क) 30 जून 2018 तक वैध



BEE STAR RATING PLAN					
STAR RATING	*	**	***	****	*****
Lumens per Watt at 0100 hrs of use	<61	>=61 & <67	>=67 & <86	>=86 & <92	>=92
Lumens per Watt at 2000 hrs of use	<52	>=52 & <57	>=57 & <77	>=77 & <83	>=83
Lumens per Watt at 3500 hrs of use	<49	>=49 & <54	>=54 & <73	>=73 & <78	>=78

Under test conditions when tested in accordance to IS 2418. Actual efficiency will vary as per site conditions.



(ख) 1 जुलाई 2018 से 30 जून 2020 तक वैध



LUMINOUS EFFICACY (lm/W)
108*
Label Period:

Appliance/Type	: TFLXX
Brand	: ABC
Model/Year	: XYZ/YYYY
Rated Power	: XXX (Watts)
Rated Luminous Flux	: XXX (lumens)
Rated Life	: XXX (hours)
Colour Temperature	: YYY (K)

Under test conditions when tested in accordance with relevant standards. Actual efficiency will vary as per site conditions.



पत्र में दी गई विशिष्ट लेबल सीरीज कोड का उल्लेख ढ्यूबुलर फ्लोरोसेंट लैप के बाहरी आवरण / स्लीव पर लगाए गए लेबल में किया जाता है।

(2) ढ्यूबुलर फ्लोरोसेंट लैप



4. लेबल के लिए इस्तेमाल की जाने वाली डिजाइन, आकार, रंग योजना, सामग्री और अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट ब्यूरो के लोगो में लेबल और रंग योजना का उल्लेख किया जाएगा।

तिथि

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

के लिए और उनकी ओर से

(फर्म का नाम)

फर्म की मुहर

अभय बाकरे, महानिदेशक,

[विज्ञापन-III/4/असाधारण/252/17]

THE BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY**NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th October, 2017

No.BEE/S&L/TFL/63/2017-18.— The following draft of certain regulations which the Bureau with the previous approval of the Central Government proposes to make in supersession of the Bureau of Energy Efficiency(Particulars and Manner of their Display on Labels of Tubular Fluorescent Lamps) Regulations, 2009, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, in exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-section (2) of section 58 read with clause (n) of sub-section (2) of section 13 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001) is hereby published as required by sub-section (1) of section 58 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft regulations shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of forty-five days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Objections and suggestions, if any, may be addressed to the Director-General of Bureau of Energy Efficiency, Ministry of Power, 4th Floor, Sewa Bhawan, R.K.Puram, Sector-1, New Delhi-110 066;

Objections and suggestions which may be received from any person with respect to the said draft regulations before the expiry of the period so specified shall be taken into consideration by the Bureau of Energy Efficiency.

Draft regulations

1. Short title and commencement. - These regulations may be called the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Tubular Fluorescent Lamps) Regulations, 2017.

2. Definitions. -(1) In these regulations, unless the context otherwise requires,-

- (a) “Act” means the Energy Conservation Act, 2001(52 of 2001);
- (b) “Bureau” means the Bureau of Energy Efficiency established under sub-section (1) of section 3 of the Act.
- (c) “Form” means forms appended to these regulations;
- (d) “label” means any written, printed, marked, stamped or graphic matter affixed to, or appearing upon the tubular fluorescent lamp;
- (e) “label period” means the validity period of the luminous efficacy under energy consumption standard notified by the Central Government under clause (a) of section 14 of the Act;

Provided if, the end period of the validity period of the luminous efficacy is not notified, it shall be deemed to be valid until new values for the same are notified by the Central Government.

- (f) “models or family of models” means the product or range of products of one particular brand, to which a single set of test reports is applicable and where each of the products have the same physical characteristics, luminous efficacy, star rating level and performance characteristics;
- (g) “permittee” means a person or agency to whom permission has been granted to affix label under regulation 7;
- (h) “Schedule” means the schedule annexed to these regulations;
- (i) “star rating or star level” means the grade of energy efficiency displayed on the label of the tubular fluorescent lamp based on energy consumption standard notified by the Central Government under the Act;
- (j) “trader or seller” in relation to any labelled tubular fluorescent lamp means a person who sells or distributes such tubular fluorescent lamp and includes shopkeeper, trader, manufacturer and permittee who has been given permission to affix label on such tubular fluorescent lamp;
- (k) “tubular fluorescent lamps” means an appliance notified by the Central Government under the Act.

(2) Words and expressions used herein and not defined, but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Particulars to be displayed on label. -(1) On every tubular fluorescent lamp, the following particulars shall be displayed on its label, namely:-

- (a) the logo of the Bureau of Energy Efficiency;
- (b) name of manufacturer or importer and brand;
- (c) size of tubular fluorescent lamp and colour temperature;
- (d) trade name and number;
- (e) model and year of manufacturing or import;
- (f) unique series code;
- (g) power consumption in Watts ;
- (h) star level of the tubular fluorescent lamp;
- (i) luminous efficacy in lm/W;
- (j) label period;

(2) The design, colour, size and content of label shall be as specified in the Schedule annexed to these regulations.

4. Time limit for display of labels.- (1) A label containing all the particulars specified in regulation 3 shall be displayed on every tubular fluorescent lamp within a period of six months from the date of coming into force of these regulations.

(2) On and from commencement of revised energy consumption standards notified by the Central Government, every permittee or trader or seller shall ensure that-

- (a) outer casing of the tubular fluorescent lamp put on sale shall display revised star level and revised label period synchronizing with the revised energy consumption standards and the manufacturing year of the tubular fluorescent lamp shall also be in synchronization with such revised energy consumption standards, and shall not produce the tubular fluorescent lamp with previous energy consumption standards;
- (b) all preparatory steps including awareness of the dealers, retailers and consumers, publicity for their education shall be well planned six months in advance from the date of commencement, under these regulations.

5. Manner of display of label.- (1) There shall be a label on every tubular fluorescent lamp which shall display at the point of sale and such label shall be affixed on the tubular fluorescent lamp in the following manner, namely:-

- (a) the label with colour programme after photographic reduction to 16 millimetre height shall be printed on the sleeve;
- (b) every manufacturer and importer shall mark the colour temperature on the sleeve;
- (c) the star marking as per the rating shall be stamped on the tubular fluorescent lamp, the size of the stamp for the star marking shall be 14.5 millimetre height x 8.5 millimetre width and the same shall be stamped in a separate column.

6. Permission for display of label.- (1) No star label shall be affixed on a tubular fluorescent lamp except with the prior permission of the Bureau.

(2) For the purposes of obtaining permission of the Bureau under sub-regulation (1), permittee shall register himself for every brand separately, accompanied by a label security fee of rupees one lakh, payable by demand draft drawn in favour of the Bureau of Energy Efficiency, New Delhi or by any other acceptable electronic mode of payment:

Provided that the label security fee for small scale industry shall be twenty-five thousand rupee;

(3) Every application for registration under sub-regulation (2) shall be accompanied by—

- (a) an application fee of two thousand rupees per model, payable by demand draft drawn in favour of the Bureau of Energy Efficiency, New Delhi or by any other acceptable electronic mode of payment;
- (b) documents specified in Form I.

7. Grant of permission and renewal. - (1) On receipt of an application under regulation 6 and after being satisfied that all requirements therein are complied with, the Bureau may within a period of one month from the date of such receipt grant, subject to such terms and conditions as are specified in regulation 8, permission for affixing label on tubular fluorescent lamp in Form II or in electronic form.

- (2) The Bureau shall enter the name and particulars of the permittee in form III.
- (3) The permission so granted under sub-regulation (1) shall be valid for a period for which the star level specified by the energy consumption standard as notified by the Central Government is in force.
- (4) The permittee shall apply for renewal of permission before six months but not later than three months before its expiry and shall be accompanied by a fee of one thousand rupees payable in the form of demand draft or electronic mode in favour of the Bureau of Energy Efficiency, New Delhi.
- (5) On receipt of the application for renewal under sub-regulation (4) the Bureau may, after being satisfied that all requirements are complied with, within a period of one month from the date of such receipt, renew permission in Form II.
- (6) An application for renewal made after the expiry of validity period shall be rejected and the permittee may make a fresh application for permission.
- (7) The permittee who seeks permission to continue to affix label on the existing model of the tubular fluorescent lamp from the date from which the revised star level comes into force shall submit a declaration in Form IV.
- (8) The permittee shall seek permission to affix label afresh, if new model of tubular fluorescent lamp is planned to be launched to synchronize with the revised star level and application for such permission may be made six months in advance of coming into force of the revised star level.

- 8. Terms and conditions for display of particulars on label.**- Every permittee, trader and seller shall,-
- (a) comply with the energy consumption standards for tubular fluorescent lamp notified by the Central Government;
 - (b) affix label only on such model of tubular fluorescent lamps for which permission has been granted;
 - (c) affix label on the tubular fluorescent lamps at the cost of the permittee;
 - (d) ensure that the star level displayed on the label of tubular fluorescent lamp shall be maintained at all time;
 - (e) pay the label fee as specified in regulation 9;
 - (f) furnish to the Bureau a statement containing details of production of labelled equipment and the accrued labelling fee due for each quarter within the following month of closure of each quarter of the financial year;
 - (g) furnish to the Bureau an updated list of authorised distributors, dealers, retailers, sellers appointed to sell their labelled products by 30th day of April of each year;
 - (h) comply with such other terms and conditions which the Bureau may specify including those contained in the Bureau's Operation Manual on Standard and Labelling.

9. Label Fee. - (1) Every permittee shall pay to the Bureau a label fee of five paisa for each label affixed on the tubular fluorescent lamp;

(2) The label fee specified under sub-regulation (1) shall be paid annually within one month from the date of closure of each financial year;

(3) If a permittee fails to pay the label fee within the period so specified, the Bureau may recover the amount due with interest thereon at ten per cent. per annum from the label security fee made under clause (b) of sub-regulation (3) of regulation 6 and if complete labelling fees are not recovered within one year of the last date of submission, Bureau may cancel the labels granted to the permittee and publish his name in the newspapers as a defaulter.

10. Refund of Label Security Fee. - Subject to the provisions to sub-regulations (2) and (3) of regulation 9, the permittee shall be entitled to a refund of the label security fee, on ceasing to manufacture tubular fluorescent lamp.

11. Verification by the Bureau. - (1) The Bureau or its designated agency may, either *suo motu* or on a complaint received by it, carry out verification to ensure that the tubular fluorescent lamp conforms to the star level and other particulars displayed on its label and that it complies with the other terms and conditions of permission.

(2) For the purposes of verification, the Bureau or its designated agency may pick up samples at random from the manufacturing facility, warehouse or the retail outlet as it deems fit.

(3) Where, upon a complaint received under sub-regulation (1), the Bureau is required to carry out verification by challenge testing the tubular fluorescent lamp in an independent laboratory duly accredited by the National Accreditation Board for testing and calibration laboratories-

- (a) the Bureau shall issue a notice to the permittee for carrying out such testing and the complainant shall be called upon to deposit such expenses relating to testing, transportation and other incidental expenses with the Bureau, within such time as may be determined by the Bureau;
- (b) if the sample drawn under challenge testing fails, the permittee shall reimburse all expenses towards the cost of sample, transportation of sample and the testing charges to the Bureau and the Bureau shall refund the aforesaid expenses to the complainant; and
- (c) where the equipment passes the challenge test, then the expenses deposited by the complainant shall stand forfeited.

(4) Where, upon a complaint received under sub-regulation (1), if the permittee fails to deposit such expenses referred to in sub-regulation (3) within such time, the Bureau shall-

- (i) continue the verification by challenge testing the tubular fluorescent lamp referred to in sub-regulation (3);and
- (ii) the processing of application received under regulation 6 may be kept in abeyance till such expenses are deposited.

(5) Where samples of tubular fluorescent lamp used for testing fails, the test during *suo motu* testing or challenge testing, the Bureau shall afford the permittee another opportunity and the Bureau shall conduct a second test with twice the quantity of tubular fluorescent lamp used in the first test in an independent test laboratory duly accredited by the National Accreditation Board for testing and calibration laboratories at the cost of the permittee.

(6) Where the second test fails, the Bureau shall-

(a) direct the permittee in Form V, under intimation to all the State Designated Agencies, that the permittee shall, within a period of two months,-

- (i) correct the star level displayed on the label affixed on the outer casing of the tubular fluorescent lamp or remove the defects and deficiencies found during testing;
- (ii) withdraw all the stocks from the market to comply with the directions of the Bureau; and
- (iii) change the particulars displayed on advertising material;

(b) publish in any national or regional daily newspaper and in any electronic means or in any other manner as it deems fit within two months, the name of the permittee, brand name, model name or model number, logo and other specifications;

(c) intimate to the concerned State Designated Agency to initiate adjudication proceedings against the permittee and the trader under section 27 of the Act.

(7) The permittee shall, within ten days of the conclusion of the period of two months referred to in sub-regulation (6) ,-

- (a) send the compliance report in Form VI to the Bureau with respect to action taken in compliance with the direction; and
- (b) in case compliance report referred to in clause (a) is not received or received without complying to any of the direction within the specified period, it shall be deemed to be non-compliance of the direction issued and orders to that effect shall be passed by the Bureau.

(8) The Bureau shall send a copy of the compliance report referred to in clause (a) and order passed in clause (b) of sub-regulation (7) along with necessary documents to all the State Designated Agencies for the purpose of taking action under section 17 of the Act and enforcement of the orders passed under clause (b) of sub-regulation (7).

(9) Where the permittee fails to comply with the directions issued by the Bureau under sub-regulation (6), the Bureau under intimation to all State Designated Agencies shall-

- (a) withdraw the permission granted to the permittee under sub-regulation (1) of regulation 7;
- (b) send report to the Central Government accompanied by the test report in support of the failure by the permittee to conform to the energy consumption standard notified by the Central Government, the directions of the Bureau referred to in clause (a) of sub-regulation (7) for consideration and taking action under clause (c) of section 14 of the Act by the Central Government;
- (c) publish in any national or regional daily newspaper and in any electronic or in any other manner as it deems fit within two months, the name of the permittee, brand name, model name or model number, logo and other specifications;
- (d) intimate to the concerned State Designated Agencies to initiate further adjudication proceedings against the permittee and the trader under section 27 of the Act.

12. Cancellation of Permission. - The Bureau may cancel the permission granted under regulation 7 if the permittee—

- (a) fails to comply with any of the terms and conditions specified under regulation 8;
- (b) fails to pay label fee within the period specified under regulation 9;
- (c) fails to comply with the directions issued under regulation 11.

Schedule

[See regulation 3(2)]

Particulars to be displayed on label of Tubular Fluorescent Lamp

(1) Label design, size, colour scheme and content of the label shall include-


(i) the following dimensional design of label, namely:-

(a) Valid till 30th June, 2018




BEE STAR RATING PLAN					
STAR RATING	★	★★	★★★	★★★★	★★★★★
Lumens per Watt at 0100 hrs of use	<61	>=61 & <67	>=67 & <86	>=86 & <92	>=92
Lumens per Watt at 2000 hrs of use	<52	>=52 & <57	>=57 & <77	>=77 & <83	>=83
Lumens per Watt at 3500 hrs of use	<49	>=49 & <54	>=54 & <73	>=73 & <78	>=78

--	--	--	--	--	--	--



(b) Valid from 1st July, 2018 to 30th June, 2020

(i) Dimension of the label to be affixed on outer casing/ sleeve



Note: The dimensions of label may be relatively reduced in accordance with the size of the outer casing, provided the aspect ratio of the label shall remain the same.

(ii) Dimension of the label to be stamped on the tubular fluorescent lamp



Note: The dimensions of label may be relatively reduced in accordance with the diameter of the tubular fluorescent lamp, provided the aspect ratio of the label shall remain the same.

(ii) the following colour scheme for the label, namely :-

NAVY BLUE – C: 97, M:95 , Y:6 , K:1

GREEN – C: 81 , M: 10 , Y:90 , K:1


Note: Bottom of Bureau's logo and star filler in GREEN colour only and all fonts and top of Bureau's logo in NAVY BLUE

(a) Valid till 30th June, 2018



201

(b) Valid from 1st July, 2018 to 30th June, 2020



(iii) the following colour scheme for Bureau's logo, namely:-

BLUE –

Hue(H)-239° Saturation(S):64% Brightness(B):59%

Luminance or lightness(L) :28, chromatic components -a:24 b:54

Red(R):54 Green(G):55 Blue(B):151

Cyan(C):97% Magenta(M):95% Yellow(Y):6% Black(K):1%

Web colour code - #363797

GREEN –

Hue(H)-150° Saturation(S):10% Brightness(B):67%

Luminance or lightness(L) :61, chromatic components -a:-53 b:32

Red(R):0 Green(G):170 Blue(B):87

Cyan(C):81% Magenta(M):10% Yellow(Y):90% Black(K):1%

Web colour code - #00AA56;

(2) Label Material

The label shall be self-adhesive and printed on the tubular fluorescent lamp and shall be cut to one of the outlines shown in dimension design scheme for the label.

FORM I

[See regulation 6]

Application for permission to affix label on Tubular Fluorescent Lamp under the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Tubular Fluorescent Lamps) Regulations, 2017

The Director General
Bureau of Energy Efficiency,
(Ministry of Power, Government of India)
4th Floor, Sewa Bhawan,
Sector-I, R.K. Puram,
New Delhi - 110066
India.

1. I/We are the manufacturers of tubular fluorescent lamp carrying out business at (full business address) under the style of (full name of individual or firm) hereby apply for permission to affix label on tubular fluorescent lamps as specified under these regulations.
2. Manufacturing Facility: The above equipment is manufactured or imported by (Name of the company) and is manufactured at (Name and address of the factory).
3. Details of Information: The details of information in respect of the equipment, company, manufacturing facility, certification for test, products, labels and payment is given in Annexure A appended to these regulations. A photocopy of the certificate of incorporation issued by the Registrar of Firms or Societies/Director of Industries (in case of Small Scale Units) or similar other documents authenticating the name of the firm and its manufacturing premises is enclosed.
 - (a) Applicant/Authorised person: (Name and Designation) is authorised to make this application on behalf of the company/firm etc. and will be responsible for accuracy of the information supplied with this application.
 - (b) Contact person : (Name and Designation) is authorised contact person for coordination with the Bureau in respect of this application and use of the label.
 - (c) I/We undertake to intimate to the Bureau of any change in the authorised persons defined in (a) or (b).
4. Conformance to standards : I/We conform to the Bureau of Indian Standard/other International Standards in respect of Quality System/ Other Standards in accordance with IS/Others (name and number of the standard) as specified in the notification on(title of the notification) for the (name of the equipment).

A copy of the Licence/Certificate in respect of the above equipment is enclosed.

I/We have made arrangement for testing at our in-house laboratory _____ or at independent laboratory _____ (Name and address of the laboratory) which is accredited by National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories or International Laboratory Accreditation Cooperation or Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation or equivalent bodies for ensuring consistency in quality of the equipment as well as the scope of the relevant Indian Standard/International Standard Organization/International Electrotechnical Commission standards as specified in S.O...

Laboratory details:

- (a) Accreditation Board:
 - (b) Accreditation status:
 - (i) For Laboratory: (Yes/No)
 - (ii) For Test Standards: (Specify relevant product standard name/number)
 - (c) Bureau of Energy Efficiency approval:
5. Production and sales figures of the said equipment and the value there of to the best of my/our knowledge and estimates are as follows:

Year	Production	Sales	MRP of the equipment (Rs.)
Last Year from..... to.....			
Current Year from..... to..... (estimate)			

6. (a) An application fee of two thousand rupees has been paid by Demand Draft. No. dated...../electronic mode.

(b) A label security fee of one lakh rupees or twenty-five thousand rupees.....has been paid by Demand Draft. No. dated...../electronic mode (To be filled only at the time of submission of label security fee).

(c) I/We agree to pay the labelling fee of five paisa per label as specified by the Bureau.

7. I/We agree to abide by all the terms and conditions specified by the Bureau and extend necessary assistance/co-operation to the Bureau in case of any enquiry to be made by it.

8. I/We authorise the Bureau for selection of sample for verification and challenge testing and agree to abide by the directions of the Bureau in this regard.

9. I/We undertake that the information supplied in this application is accurate to the best of my knowledge, and if any of the information supplied is found to be incorrect; the application may be rejected forthwith.

Dated thisday of..... (Year)

Signature
Name
Designation
For and on behalf of.....
(Name of the firm)
Seal of firm

FORM II

[See regulation 7(1)]

Permission / Renewal of Permission to affix label on Tubular Fluorescent Lamp under the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Tubular Fluorescent Lamps) Regulations, 2017

New Delhi, dated.....

To

.....
.....
.....

1. Pursuant to the provisions of regulation 7, Bureau hereby permits you to stamp and print or affix label as per details of approval set out in the annexure B to this letter.
2. This permission is subject to—
 - (a) the star level displayed on the label of the tubular fluorescent lamp and terms and conditions provided in these regulations;
 - (b) the label stamped only on such model of tubular fluorescent lamps for which permission has been granted;
 - (c) the label printed or affixed on the tubular fluorescent lamps at the cost of the permittee;
 - (d) the star level displayed on the tubular fluorescent lamps shall be maintained at all time by the permittee;
 - (e) the payment of label fee of five paisa per label by the permittee;
 - (f) (i) the furnishing by the permittee to the Bureau a statement containing details of production of labelled equipment and the accrued labelling fee due for each quarter within the following month of the closure of each quarter of the financial year;
 - (ii) the same details furnished to the Bureau through automated system;

- (g) such other details of tubular fluorescent lamp the permittee shall make available as and when sought by the Bureau of which the permission has been granted.
- (3) This permission shall be valid from toand may be renewed in accordance with the provisions of these regulations.
- (4) The permittee shall not withdraw the tubular fluorescent lamp from the market during the validity period of permission except with the prior approval of the Bureau.
- (5) The unique label series code assigned by the Bureau for the equipment is..... and should appear on the label as per the approved design.

6. Where the star level plan on review is modified by the Central Government, the star level of the tubular fluorescent lamp shall be deemed to be modified to the following options namely:-

(a) if new model is launched synchronizing with the revised star level, an application for such permission shall be made to Bureau within six months of the date from which new star level comes in to force;

(b) where the existing model is continued to give effect to the modified star level, only a declaration in Form IV shall be submitted to the Bureau.

7. Signed, sealed and dated this..... day ofmonth..... year.

Yours faithfully,

(Secretary)
Bureau of Energy Efficiency

FORM III

[See regulation 7(2)]

Register of permittee to be maintained by the Bureau of Energy Efficiency

Sl. No.	Application number and date of permission	Name and details of the permittee (contact person, address, Pin Code, State, phone number, fax number, E-mail, website)	Details of equipment for which the permission has been granted	Star level or efficiency level declared	Bureau permission number and unique label series	Period for which the permission has been granted
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Amount of label security fee	Label security fee received by (crossed demand draft (details) / electronic transaction (details): date:)	Amount of application fee received	Details of application fee received by (crossed demand draft (details)/electronic transaction (details): date :)
(8)	(9)	(10)	(11)

Total number of labels affixed during each financial year	Amount of labelling fee payable to Bureau for each financial year	Labelling fee details received for each financial year (cross demand draft (details)/electronic transaction (details): date:)	Remarks.
(12)	(13)	(14)	(15)

Form IV

[See regulation 7(7)]

**Declaration by permittee seeking continuation of the permission to affix label on the existing model
(For each model, a separate letter to be submitted with Annexure)
(on the letter head of corporate body/ permittee)**

Dated:

To
The Director General
Bureau of Energy Efficiency,
(Ministry of Power, Government of India)
4th floor, Sewa Bhawan,
Sector 1, R.K.Puram,
New Delhi-110 066
India.

Sub: Application for permission to affix label vide Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Tubular Fluorescent Lamps) Regulations, 2017 on revision of star level effective from.....

1. I/ We are the manufacturers / importers of tubular fluorescent lamp carrying on business at [COMPANY NAME WITH FULL ADDRESS] under the style of [FULL NAME OF INDIVIDUAL OR FIRM] hereby apply for permission to affix the label on tubular fluorescent lamp as specified by the Bureau which would go for revision of star level with effect from.....
2. The above equipment is manufactured or imported by [FULL NAME OF INDIVIDUAL OR FIRM] and is manufactured at (NAME AND ADDRESS OF FACTORY) or imported from (NAME AND ADDRESS OF IMPORTER);
3. Conformance to New Star level: I/We conform to the table change as per Table ... as specified in the notification number S.O. number.dated..... for tubular fluorescent lamp. A copy of the Bureau's approval in respect of the above equipment (which was earlier approved) is enclosed.
4. A copy of the Bureau label (as per revision of star level change) in respect of the tubular fluorescent lamp is enclosed.
5. Details of the equipment / model as per revision of star level.

Model Name - _____

Particulars	Declared Values
Power (Watts)	--

Luminous Flux(Lumens)		
Luminous Efficacy (lm/W)		
Star Rating	(As per existing star level)	(As per the revised star level)

6. I/We agree to change the star level from [EXISTING STAR LABEL LEVEL] to [REVISED STAR LABEL LEVEL] in manual application and on the online web portal.

7. I have submitted my quarterly production data and labelling fee till date for tubular fluorescent lamp model.

8. I/We agree to abide by all the terms and conditions specified by the Bureau and extend necessary assistance/cooperation to the Bureau in case of any enquiry to be made by it.

9. I/we authorise the Bureau for selection of sample for verification and challenge testing and agree to abide by the directions of the Bureau in this regard.

10. I/We undertake that the information supplied in this application is accurate to the best of my/our knowledge, and should any of the information supplied is found to be incorrect, the application may be rejected forthwith.

Date:

Day of (Year)
 Signature
 Name
 Designation
 For and on behalf of.....

 (Name of the firm)
 Seal of firm

FORM V

[See regulation 11(6)]

Directions to permittee on failure of second check testing

New Delhi, dated the.....

To

.....

1. Pursuant to the provisions of regulation 7 of the Bureau of Energy Efficiency (**Particulars and Manner of their Display on Label of Tubular Fluorescent Lamps**) Regulations, 2017, you were permitted to affix label on the tubular fluorescent lamp vide the Bureau letter No.dated..... subject to the compliance of the terms and conditions specified therein.
- (2) The Bureau, under regulation ... of these regulations, had purchased a Bureau star labelled tubular fluorescent lamp from your authorised distributor, dealer, retailer vide Invoice numberdated for a price of Rs..... and lifted as a sample datedby M/s....., an agency appointed by the Bureau for verification of the particulars displayed on the label under regulation 3, affixed by you on the aforesaid purchased tubular fluorescent lamp. The sample duly sealed by M/s..... bearing serial number.....was obtained from M/s.....(Name of the distributor, dealer, retailer) under signatures of the duly authorised representative of the verification agency.
- (3) The Bureau through its aforesaid verification agency had transported the sample referred to in para 2 to M/s., a National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories accredited

laboratory for conducting tests in accordance with the test procedure indicated in paragraphs 4 and 5 of S.O. numberdated thefor giving Test Report in accordance with the form ...given in Annexure to S.O. numberdated the

- (4) The results of the test report on the sample bearing unique identification serial number is enclosed. The results of the test report indicated that the sampled tubular fluorescent lamp failed to meet the energy consumption standard, lumens, etc. and did not conform to the test details furnished by you in Form I annexed to the application submitted by you for seeking permission to affix label on the tubular fluorescent lamps manufactured/imported by you. The test results were sent to you vide the Bureau letter No.....dated.....in the name of your authorised contact person. You were also required to attend and witness the Second Check Verification Test of the samples at the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories Accredited Laboratory M/s.....
- (5) The sample for second check verification test was picked updated the through our authorised Agency M/s.and transported to the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories accredited laboratory transported by our authorised agency, duly sealed by M/s..... and was given unique identification serial number embossed on the said sample obtained fromunder signatures of the duly authorised representative of the verification agency as well as your representatives.
- (6) The test results of second check testing are enclosed which are dully checked and counter signed by the competent authorised personnel of the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories accredited laboratory. The test report is also duly signed by your authorised signatory as witness of second check testing. The test results confirm that they failed to meet the requisite parameters and standards given in S.O. number....dated,and the terms and conditions of the permission given to you for display of particulars on label affixed to the tubular fluorescent lamps manufactured/imported and sold in the market .
- (7) The Bureau hereby directs you to correct the star level displayed on the label of the tubular fluorescent lamps or remove the defects and deficiencies found during testing; withdraw all the stocks from the market to comply with the directions of the Bureau; and change the particulars displayed on advertising material.
- (8) You are hereby directed to complete the aforesaid corrective action within two months from the date of issue of this letter and send the compliance report in Form VI within ten days after the expiry of two months i.e. byIn case no compliance report is received by the said date, the Bureau shall proceed to take action under these regulations.
- (9) The Bureau shall take further follow up action in accordance with the provisions of these regulations.

Secretary,
Bureau of Energy Efficiency

Enclosures:

1. Test reports of the failed model
2. Correspondence with the manufacturer

Form VI

[See regulation 11(7(a))]

Action Taken Report (To be furnished on the letter head of the organisation)

To
The Secretary,
Bureau of Energy Efficiency
(Ministry of Power, Government of India)
4th floor, Sewa Bhawan,
Sector 1, R.K.Puram,
New Delhi-110 066
India.

Dated.....

Pursuant to the provisions of regulation 7 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Tubular Fluorescent Lamps) Regulations, 2017, we M/s.....the manufacturer of tubular fluorescent lamp were permitted to affix label on the tubular fluorescent lamp conforming to the energy consumption standard ofstar level vide Bureau letter No.....dated.....for the model number.....

Pursuant to the provisions of sub-regulation (5) of regulation 11 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Tubular Fluorescent Lamps) Regulations, 2017, we were given directions vide the Bureau letter number.....dated..... totake necessary corrective action. In the light of directive issued by Bureau, we hereby declare that the following actions have been taken at our end.

	Action Directed	Status	Action Taken
(i)	Correct the star level displayed on the label of the tubular fluorescent lamp to comply with the directions of the Bureau	Yes/No/NA	The star level has been corrected from.....star to.....star with effect from (Date)
(ii)	Withdraw all the stocks from the market to comply with the directions of the Bureau	Yes/No/NA	All the stocks from the market have been withdrawn to comply with the directions of the Bureau.
(iii)	Change the particulars displayed on advertising material.	Yes/No/NA	Yes/No/NA

The above declaration is true to the best of our knowledge and belief.

Signature.....
Name.....
Designation.....
For and on behalf of.....
Name of the Company/Firm
Seal of the Company/Firm

Annexure A

[See para 3 of Form I]

Details of Information

1. Product/ Equipment Detail

1.1 General:

Name of manufacturer and brand	
Size of tubular fluorescent lamp in millimetres	
Colour temperature of tubular fluorescent lamp	
Trade name of the tubular fluorescent lamp	
Model and year of manufacture	
Registration number and date of the trade mark(s)	
Rating of the tubular fluorescent lamp in watts	
ISI Certificate details (Attach copy of the certificate)	
Quality System Certificate details (Attach copy of the certificate)	
Luminous efficacy (in lumens/Watts)	

1.2 Technical Details:

Sl. No.	Model Name /No.	Measured Values				Declared Values				Remarks
		Power (Watts)	Luminous flux (lumens)	Luminous Efficacy (lm/W)	Star Level or Efficiency level	Power (Watts)	Luminous flux (lumens)	Luminous Efficacy (lm/W)	Star Level or Efficiency level	

2. Details of the Company:

Name of the Company	
Address	
Pin code	
State	
Phone number	
Fax number	
E-mail	
Website	
Documents to be submitted by the permittee at the time of submission of label security fee: (6) Covering letter (7) Document authenticating the name and address of the manufacturing or business premises (8) Trade Mark Certificate (9) SSI Certificate, if applicable (10) Quality Management System Certificate (11) Authorised Signatory Letter (12) BIS License, if applicable (13) Demand Draft (Security Deposit)/ payment receipt in case payment is made online	

3. Details of the manufacturing premises:

Address	
Pin Code	
State	
Phone No.	
Fax No.	
E-mail	
Website	
Any other details (if any)	

4. Details of Test Laboratory:

Name of the test laboratory	
Accreditation status of the Laboratory (Attach copy of the accreditation certificate)	
Accreditation status of the Relevant Standard (Attach copy of the accreditation certificate)	

Validity of the Accreditation (Attach supporting document)	
Address	
Pin code	
State	
Phone number	
Fax number	
E-Mail	
Web site	

5. Labelling Information:

Date of commencement	
Number of labels applied for Bureau of Energy Efficiency for the first year— for the second year— for the third year—	
Production serial number	From to.....

6. Payment details:

	Total Amount	Details of Payment (Demand Draft details/ electronic payment details)
Application fee		
Security fee		

Date:

Signature.....
 Name
 Designation
 For and on behalf of
 (Name of the firm)
 Seal of firm

Annexure B

[See para 1 of Form II]

Details of Approvals

1. Details of the Equipment:

Size of tubular fluorescent lamp in millimetres
Colour temperature of tubular fluorescent lamp
Year of manufacture
Registration number and date of the trade mark(s)
Rating of the tubular fluorescent lamps in watts

--

Sl. No.	Model Name /No.	Measured Values				Declared Values				Remarks
		Power (Watts)	Luminous flux (lumens)	Luminous Efficacy (lm/W)	Star Level	Power (Watts)	Luminous flux (lumens)	Luminous Efficacy (lm/W)	Star Level	

2. Label Details:

Equipment	
Type	
Name of the manufacturer/importer/brand	
Model name/number	
Star level	
Size of tubular fluorescent lamp	
Year of manufacture	
Luminous efficacy (lm/W)	

3. Specimen of the label duly approved by Bureau to be affixed on the outer casing/ sleeve and the tubular fluorescent lamp is shown below:

(1) Outer Casing / Sleeve

(a) Valid till 30th June, 2018



BEE STAR RATING PLAN					
STAR RATING	*	**	***	****	*****
Lumens per Watt at 0100 hrs of use	<61	>=61 & <67	>=67 & <86	>=86 & <92	>=92
Lumens per Watt at 2000 hrs of use	<52	>=52 & <57	>=57 & <77	>=77 & <83	>=83
Lumens per Watt at 3500 hrs of use	<49	>=49 & <54	>=54 & <73	>=73 & <78	>=78

Under test conditions when tested in accordance to IS 2418. Actual efficiency will vary as per site conditions.



(b) Valid from 1st July, 2018 to 30th June, 2020

	LUMINOUS EFFICACY (lm/W) 108*	Appliance/Type : TFL/XX Brand : ABC Model/Year : XYZ/YYYY Rated Power : XXX (Watts) Rated Luminous Flux : XXX (lumens) Rated Life : XXX (hours) Colour Temperature : YYY (K)	
	Label Period:	Under test conditions when tested in accordance with relevant standards. Actual efficiency will vary as per site conditions.	

The unique label series code provided in the letter has to be mentioned in the label affixed on the outer casing/ sleeve of the tubular fluorescent lamp.

(2) Tubular fluorescent lamp



4. The label design, size, colour scheme, material to be used for the label and the content of the label and colour scheme of the Bureau's logo shall be as specified in the Schedule.

Date:

Signature.....
Name.....
Designation
For and on behalf of
.....
(Name of the firm)
Seal of firm

ABHAY BAKRE, Director General

[ADVT.-III/4/Exty./252/17]